

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी धमतरी, जिला-धमतरी (छोगो)

कम्पोजिट बिल्डिंग, द्वितीय तल, कलेक्टोरेट परिसर के पास धमतरी
फोन नम्बर-07722- 232340 फैक्स नम्बर-07722-230484

Email-Id deodmt@gmail.com



क्र./मान्यता/विभागीय अनुमति/जि.शि.अ./2018-19/4791 दिनांक :- 21-05-18

प्रति,

01. प्रबंधक/अध्यक्ष/सचिव,
श्री चैतन्य महाप्रभू शिक्षण संस्था रामसागर पारा रायपुर
02. अशास0 शाला देहली पब्लिक स्कूल धमतरी
विकासखण्ड - धमतरी
जिला- धमतरी (छोगो)

विषय :- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2009 के नियम 11 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में, और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्तवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के उपरान्त में देहली पब्लिक स्कूल धमतरी को अधिनियम के अंतर्गत सत्र 2018-19 से सत्र 2020-2021 के लिए अप्रैल 2021, तक की अवधि के लिये कक्षा- नर्सरी से 12वीं माध्यम -श्रेणी के लिए शर्तों के आधार पर अस्थाई अनंतिम नवीन मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधधीन है।

- 1/ मान्यता की स्वीकृति विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा आठवीं के पश्चात् मान्यता/संवर्धन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2/ विद्यालय निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (परिशिष्ट - एक) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2009 (परिशिष्ट - दो) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3/ विद्यालय कक्षा एक में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बच्चों के संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधाविहीन समूह के बच्चों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा परन्तु यह और भी कि पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के मामले में भी इन मानकों का अनुपालन किया जायेगा।
- 4/ पैरा 3 में निर्दिष्ट बच्चों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5/ सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बच्चे या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधधीन नहीं करेगा।
- 6/ विद्यालय किसी बच्चे को उसकी आयु का सबूत नहीं होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-
 - (एक) प्रवेश दिये गये किसी भी बच्चे को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (दो) किसी भी बच्चे को शारिरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अधधीन नहीं किया जायेगा।
 - (तीन) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (चार) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चे को नियम 25 के अधधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (पांच) अधिनियम के उपबंधों के अनुसार निःशक्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।


PRINCIPAL
Delhi Public School
Dhamtari (C.G.)

- (छः) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम आर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह भी कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम आर्हताएं नहीं हैं, 05 वर्षों के अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यतायें अर्जित करेंगे।
- (सात) अध्यापक, अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, और
- (आठ) अध्यापक, स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय, अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं :-

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल

कुल निर्मित का क्षेत्र

खेल के मैदान का क्षेत्रफल

कक्षाओं की संख्या

प्रधानपाठक-सह-कार्यालय-सह-भण्डार के लिये कक्ष

बालकों एवं बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय

पेयजल सुविधा

मध्याह्न भोजन पकाने हेतु रसोई

बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकुद के उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता

9. विद्यालय परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जाएंगी।
10. विद्यालय भवनों या संरचनाओं या स्थलों का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय को किसी वैयक्तिक, वैयक्तिक समूह या संघ या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालयों के लेखाओं को किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा समपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए, तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी भी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो शिक्षा निर्देशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हो और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाए।
17. संलग्न परिशिष्ट तीन के अनुसार अन्य कोई शर्त।
18. आर.टी.ई. अधिनियम की धारा 19 और धारा 25 विद्यालय के लिये मान और मानक के उल्लंघन की स्थिति में मान्यता आदेश स्वयं निरस्त माना जावेगा। जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी शाला संचालन समिति को होगी।

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला धमतरी (छ0ग0)

पृ.क्र./मान्यता/विभागीय अनुमति/जि.शि.अ./2018-19/4792

दिनांक : 21-5-18

प्रतिलिपि :-

- विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी धमतरी / कुरुद / मगरलोड / नगरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अप्रेषित।
- जिला परियोजना अधिकारी, आर0एम0एस0ए0, धमतरी की ओर सूचनार्थ।
- कार्यालयीन आर.टी.ई. कक्ष प्रभारी की ओर सूचनार्थ।

PRINCIPAL
Delhi Public School
Dhamtari (C.G.)

PRINCIPAL
Delhi Public School
Dhamtari (C.G.)

जिला शिक्षा अधिकारी
जिला धमतरी (छ0ग0)